न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 137/2017 राजस्व अपील

1. मानसिंह पुत्र रामरूप जाति गुर्जर निवासी ग्राम गांवडी तहसील सिकराय उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नायब तहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 15.02.2016
उनवानी प्रकरण सरकार बनाम मानसिंह मु. न. 37/2015 अ. धा. 91 रा. भू रा. अ.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति : श्री विश्राम गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: श्री चन्द्रशेखर टापरिया, राजकीय अधिवक्ता उप0।

–: निर्णय :– दिनांकः 09.05.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का मरियाडा द्वारा एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकन्दरा को इस आश की पेश की कि ग्राम गांवडी के आराजी भूमि खसरा नम्बर 17/2 रकबा 03 बीघा चरागाह भूमि पर संवत 2072 मे रबी की फसल काश्त कर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकन्दरा ने अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 15.02.2016 को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 15.02.2016 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 15.02.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को साक्ष्य व सबूत का अवसर दिये बिना पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट्स ने किसी भी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नही किया है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा संवत 2071 में ग्राम गावंडी तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चारागाह भूमि खसरा नंबर 17/2 रकबा 03 बीघा पर गेहू की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनिययम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर दिनांक 18.02.2015 को अपीलान्ट अतिकमी को अतिकमित आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट अतिकमी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के समक्ष एक अपील पेश की गई थी जिस पर न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 46/2015 राजस्व अपील में निर्णय दिनांक 18.05.2015 पारित कर अपीलान्ट को राजकीय भूमि पर से अतिकमण हटाने व भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिकमण नही करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये थे। तत्पश्चात अपीलान्ट द्वारा पुनः अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा दिनांक 15.02.2016 पारित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2016 में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2016 को यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official